

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट(योजना)-23/2014-40(qm)/खाद्य,पटना-15,दिनांक- 21/11/14

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना,
सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-पी0- 3456001020306, मांग संख्या-18 योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुल 1,15,16,55,000 (एक अरब पंद्रह करोड़ सोलह लाख पचपन हजार) रुपये मात्र आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विषयांकित शीर्ष यथा मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0- पी0- 3456001020306, मांग संख्या-18 योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 6076/वि0 दिनांक 10.11.2005 एवं पत्रांक 687/वि0 दिनांक 24.07.2014 के आलोक में निम्नांकित तालिका के अनुसार आवंटित करते हुए आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

क्र0	ईकाइ का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आय-व्ययक उपबंध	पूर्व में आवंटित की गई राशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु आवंटित की जाने वाली राशि
1	33 01 सब्सिडी	1,91,94,25,000	76,77,70,000	1,15,16,55,000

1,15,16,55,000 (एक अरब पंद्रह करोड़ सोलह लाख पचपन हजार) रुपये मात्र

2. उपर्युक्त आवंटित राशि विषयांकित शीर्ष यथा मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-पी0- 3456001020306, मांग संख्या- 18 योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकलनीय होगी ।

3. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी ।

4 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग के द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जाएगी । किसी भी प्रकार की गलत निकासी एवं अधिक निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

5 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि का ईकाइवार विवरणी निर्धारित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे ।

6. 33 01 सब्सिडी में आवंटित राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् ही की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)23/2014 40(902) खाद्य, पटना/दिनांक-21/11/2014
प्रतिलिपि-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)23/2014 40(902) खाद्य, पटना/दिनांक-21/11/2014
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)23/2014 40(902) खाद्य, पटना/दिनांक-21/11/2014
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी- 01,05 एवं 06 लेखा शाखा (दो प्रतियों में) एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।